17.11.22 वादी वकील अनुपस्थित। वादी स्वयं की उपस्थिति नहीं हुआ। आज न्यायालय समय में हमारे-2 तीन बार आवाजें लगाई जाने एवं अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई जाने के बावजूद भी वादी एवं उनके वकील में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने से जाहिर होता है कि वे वाद लिप्त होना नहीं चाहते हैं।

अतः वादी के वकील के अनुपस्थित रहने पर वाद खारिज किया जाता है। प्रतिवादी गण आज पेशी में खारिज किया जाता है।

पश्चात् मिसल प्रभार लिए परिपत्र प्रदान हो।

वीरेन्द्र
17/11/2022
सहायक कलेक्टर
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:22:30 IST
Reason: SelfAttested